

~~अदालत खाना 21/12/2024~~

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहरताक्षर जज

~~पत्रावली आवाज निषेध क्र. - 65/2024~~


~~20.12.2024~~

~~पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय मय उभय पक्षकारान् अनुपस्थित। वकुलाय उभय पक्षकारान् को कोर्ट समाप्ति तक बार-बार आवाज दिलवाई गई। बावजूद आवाजों के भी हाजिर अदालत नहीं आये है। वास्ते खारिज होने वाले प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पत्रावली दिनांक 23.12.2024 को पेश हो।~~

~~(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमधोपुर (नीमकाथाना)~~

27.02.2025

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् अनुपस्थित प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रूक-रूक कर बार-बार आवाज दिलाई गई। बावजूद आवाजों के भी वकुलाय उभय पक्षकारान् में से कोई भी हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकुलाय उभय पक्षकारान् की अनुपस्थिती में प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बार तकमील दाखिल दपतर हो।


(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमधोपुर (सीकर)

